विद्यालय में अनिवार्य उपस्थिति

माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए सूचना

आपकी संतान के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है और स्कूल में नियमित उपस्थिति आपकी संतान के लिए अपनी सर्वोत्तम शैक्षिक उपलब्धि हासिल करने और अपने करियर और जीवन विकल्पों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। NSW पब्लिक (सरकारी) स्कूल बच्चों और युवाओं की नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करने और इसका समर्थन करने के लिए माता-पिता के साथ साझेदारी में काम करते हैं। जब आपकी संतान प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो सीखना अधिक आसान हो जाता है और इससे आपकी संतान अन्य बच्चों के साथ दोस्ती बनाएगी और बनाए रखेगी ।

मेरी कानूनी जिम्मेदारियाँ क्या हैं?

NSW में छह वर्ष से लेकर 17 वर्ष की स्कूली शिक्षा छोड़ने की न्यूनतम आयु से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा अधिनियम 1990 यह आवश्यक बनाता है कि माता-पिता यह सुनिश्चित करें कि अनिवार्य स्कूली आयु के उनके बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और नियमित रूप से वहाँ जाते हैं, या होम स्कूलिंग के लिए NSW शिक्षा मानक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं।

एक बार नामांकित होने के बाद, जब विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुला होता है तो उनके लिए प्रत्येक दिन स्कूल जाना आवश्यक होता है।

समय पर पहुँचने का महत्व

समय पर स्कूल और कक्षा में पहुंचना:

- यह सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी दिन की शुरुआत में निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण गतिविधियों से न चूकें
- विद्यार्थियों को समय की पाबंदी और दिनचर्या के महत्व को सीखने में मदद करता है
- विद्यार्थियों को कक्षा से पहले अपने दोस्तों का अभिवादन करने का समय देता है
- कक्षा में व्यवधान को कम करता है।

देरी से आने को आंशिक अनुपस्थिति के रूप में दर्ज किया जाता है और माता-पिता को इसका विवरण देना होगा।

यदि मेरी संतान को स्कूल से अनुपस्थित रहना पड़े तो क्या होगा?

कभी-कभी, आपकी संतान को स्कूल से अनुपस्थित रहना पड़ सकता है। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के उचित कारणों में शामिल हो सकते हैं:

- बीमार होना, या कोई संक्रामक रोग होना
- चिकित्सा के लिए किसी अनिवार्य अपॉइंटमेंट का होना
- उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक अवकाश में शामिल होना आवश्यक हो
- असाधारण या अत्यावश्यक पारिवारिक परिस्थिति जैसे एक अंतिम संस्कार में भाग लेना।

स्कूल से अनुपस्थिति के बाद आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि 7 दिनों के भीतर आप आपकी संतान के स्कूल को अनुपस्थिति के लिए मुंह-ज़बानी या लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करें। हालाँकि, यदि स्कूल को 2 दिनों के भीतर आपसे स्पष्टीकरण नहीं मिला है, तो स्कूल अनुपस्थिति पर चर्चा करने के लिए आपसे संपर्क कर सकता है।

यदि प्रिंसिपल को यह लगता कि अनुपस्थिति आपकी संतान के सर्वोत्तम हित में नहीं है, तो वे आपके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में आपकी संतान की अनुपस्थिति अनुचित मानकर दर्ज की जाएगी। ऐसा होने पर प्रिंसिपल आपके साथ अपने निर्णय और उसके कारणों पर चर्चा करेगा/गी।

जब बार-बार या लम्बे समय तक अनुपस्थिति को बीमारी के कारण बताया जाता है, तो प्रिंसिपल मेडिकल प्रमाणपत्रों या अन्य दस्तावेज़ीकरण का अनुरोध कर सकते हैं। प्रिंसिपल आपकी संतान की सहायता के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना को सहयोगात्मक रूप से विकसित करने के लिए जानकारी प्राप्त करने हेतु चिकित्सा विशेषज्ञों से बात करने के लिए माता-पिता की अनुमति भी मांग सकते हैं। यदि अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो प्रिंसिपल अनुपस्थिति को अनुचित मानते हुए रिकॉर्ड कर सकता/ती है।

यात्रा

स्कूल की छुट्टियों के दौरान परिवारों को यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि स्कूल अवधि के दौरान यात्रा आवश्यक है, तो अपनी संतान के स्कूल प्रिंसिपल से इस बारे में चर्चा करें। लम्बी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। यात्रा से संबंधित अनुपस्थिति को रोल पर छुट्टी के रूप में चिह्नित (रिकॉर्ड) किया जाएगा और इसे आपकी संतान की वर्षभर की कुल अनुपस्थिति में जोड़ा जायेगा।

कुछ परिस्थितियों में विद्यार्थी 50 स्कूल दिनों से अधिक की यात्रा अवधि के लिए डिस्टेंस एजुकेशन (दूरस्थ शिक्षा) में नामांकन के पात्र हो सकते हैं। इस पर आपकी संतान के स्कूल प्रिंसिपल से चर्चा की जानी चाहिए।

मेरी संतान स्कूल नहीं जाना चाहती, मुझे क्या करना चाहिए?

आपको इस विषय पर चर्चा करने और मदद मांगने के लिए यथाशीघ्र प्रिंसिपल से संपर्क करना चाहिए। उपस्थिति में सुधार करने में मदद करने वाली रणनीतियों में स्कूल की शिक्षण और सहायता टीम को रेफरल करना या आपकी संतान को उचित सहायता नेटवर्क से जोड़ना शामिल हो सकता है। उपस्थिति सुधार योजना विकसित करने के लिए प्रिंसिपल होम स्कूल संपर्क कार्यक्रम से और सहायता मांग सकते हैं।

यदि मेरी संतान की अनुपस्थितियाँ अस्वीकार्य बनी रहे तो क्या हो सकता है?

यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा विभाग को उस स्थिति में आगे कार्यवाही करने की ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ अनिवार्य स्कूली आयु के बच्चों के स्कूल से बार-बार अस्पष्टीकृत या अनुचित अनुपस्थितियों के मामले सामने आते हैं।

निम्नलिखित में से कुछ कार्रवाइयां की जा सकती हैं:

- अनिवार्य स्कूली शिक्षा कॉन्फरेन्सेस (विचार विमर्श)

आपसे, आपकी संतान के साथ, अनिवार्य स्कूली शिक्षा कॉन्फरेन्स में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। यह कॉन्फरेन्स उन सहायताओं की पहचान करने में मदद करेगा जिनकी आपकी संतान के लिए लागू करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे नियमित रूप से स्कूल जा सकें। स्कूल, माता-पिता और एजेंसियां आपकी संतान की स्कूल में उपस्थिति में सहायता करने के लिए एक सहमत योजना (जिसे उपक्रम के रूप में जाना जाता है) विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

- बाल न्यायालय में आवेदन - अनिवार्य स्कूली शिक्षा आदेश

यदि स्कूल में आपकी संतान की उपस्थिति असंतोषजनक रहती है तो विभाग अनिवार्य स्कूली शिक्षा आदेश के लिए बाल न्यायालय में आवेदन कर सकता है। बाल न्यायालय मजिस्ट्रेट एक अनिवार्य स्कूली शिक्षा कॉन्फरेन्स बुलाने का आदेश दे सकता है।

- स्थानीय न्यायालय में अभियोग

स्कूल और विभाग के कर्मचारी उन विषयों के समाधान के लिए आपके साथ साझेदारी में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो स्कूल में आपकी संतान की पूर्ण भागीदारी को रोक रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां अनिवार्य स्कूली शिक्षा आदेशों का उल्लंघन होता है, स्थानीय न्यायालय में माता-पिता के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अदालती कार्रवाई का परिणाम सामुदायिक सेवा आदेश या जुर्माना लगाना हो सकता है।

मेरी संतान किस उम्र में स्कूली शिक्षा छोड़ सकती है?

न्यू साउथ वेल्स के सभी विद्यार्थियों के लिए 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष का स्तर पूरा करना आवश्यक है। 10वीं कक्षा के बाद और 17 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक विद्यार्थियों के लिए अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए कई अनुकूलनशील विकल्प उपलब्ध हैं।

साझेदारी में काम करना

NSW शिक्षा विभाग मानता है कि विद्यार्थियों और उनके परिवारों के साथ मिलकर काम करना स्कूल में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति में सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका है।

हम आपकी संतान को उनके जीवन के अवसरों को पूरा करने में सहायता करने के लिए आपके साथ साझेदारी में काम करने के लिए तत्पर हैं।

टेलीफोन दुभाषिया सेवा

यदि आप और अधिक जानकारी चाहते/ती हैं तो कृपया स्कूल से संपर्क करें। यदि आपको स्कूल से संपर्क करने के लिए दुभाषिया सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया 131 450 पर कॉल करें, उन्हें बताएं कि आपको कौन सी भाषा चाहिए और ऑपरेटर से स्कूल को फोन करने के लिए कहें। आपकी बातचीत में सहायता के लिए ऑपरेटर आपको एक दुभाषिया उपलब्ध करवाएगा। इस सेवा के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ।